न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–**नथमल डिडेल** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 02/2021 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान राज्य जरिये कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक, नायब तहसीलदार, छानीबड़ी।

––प्रार्थी

बनाम

राजेश पुत्र सुगनाराम व सुदेश पुत्र साजनराम जाट निवासी बणियासर पल्लू, सरदारशहर।

––अप्रार्थी

उपस्थितः– 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री रामकुमार कस्वां अप्रार्थी अधिवक्ता।

–:**निर्णयः**–

दिनांकः–14.12.2021

राजस्थान राज्य जरिये कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक, नायब तहसीलदार, छानीबड़ी द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.11.2021 को थानाधिकारी, भादरा के पत्रांक 3571 दिनांक 06.11.2021 के सम्बन्ध में पुलिस थाना, भादरा पहुंचे तो पुलिस थाना, भादरा में एक पिक–अप संख्या RJ31 GB 0743 खड़ी थी जिसमें 11 (ग्यारह) ड्रम डिजल तेल से भरे एवं खाले रखे हुए थे। मौके पर पूछताछ से ड्राईवर ने बताया कि तेल मंगलसेन सिद्धु फिलिंग स्टेशन गांव गिगोरानी जिला सिरसा से भरवाना बताया गया। ड्राईवर के पास उक्त फिलिंग स्टेशन के बिल संख्या 3313 से 3320 कुल 1500 लीटर का बिल राजू गोदारा एवं सुदेश के नाम का बिल था जिसकी फोटोप्रति संलग्न है। गाड़ी का मालिक राजेश पुत्र सुगनाराम जाति जाट साकिन धारणयासर पल्लू, सुदेश पुत्र साजनराम जाति जाट साकिन धाणियासर पल्लू का होना बताया गया। गाड़ी पुलिस थाना भादरा के पास खड़ी है तेल पुलिस द्वारा जब्त कर रखा भादरा पुलिस थाने में अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखे गये है। इस प्रकार राजेश पुत्र सुगनाराम जाति जाट साकिन धाणियासर पल्लू, सुदेश पुत्र साजनराम जाति जाट साकिन धाणियासर पल्लू द्वारा यह स्पष्ट होता है कि इतनी मात्रा में पेट्रोल–डीजल का खरीद कर स्थानीय क्षेत्र में बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राजेश पुत्र सुगनाराम जाति जाट साकिन धारणयासर पल्लू, सुदेश पुत्र साजनराम जाति जाट साकिन धाणियासर पल्लू का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लघंन है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक, नायब तहसीलदार, छानीबड़ी द्वारा निवेदन किया है कि जब्त पिकअप नम्बर RJ31 GB 0743 मय 1500 लीटर डीजल मय 11 ड्रम खाली एवं भरे को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र परिवादी पेश किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि दिनांक 06.11.2021 को थानाधिकारी, पुलिस थाना, भादरा के आदेश क्रमांक 3571 दिनांक 06.11.2021 को कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक नायब तहसीलदार छानीबड़ी ने थाना परिसार भादरा में खड़ी पिकअप रजि. नं. RJ31 GB 0743 व उसमें लदे 11 ड्रम जिसमें 1500 लीटर डीजल भरा होना स्वीकार है। चरण संख्या 2 में अंकित तथ्य डीजल मंगलसेन सिधु फिलिंग स्टेशन गांव गिगोरानी जिला सिरसा से

भरवाना स्वीकार है। प्रार्थीगण ने उक्त डीजल अपने कृषि कार्य के उपयोग में लेने हेतु खरीद किया था जिसके बिल प्रार्थीगण ने जब्ती के समय सौंप दिये थे जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थीगण ने अधिकृत पैट्रोल पम्प से डीजल क्रय किया है। जब्तशुदा वाहन व डीजल पुलिस थाना भादरा में खड़ी होना स्वीकार है। डक्त जब्ती की कार्यवाही विधि विरूद्ध बिना क्षेत्राधिकार की गई होने के कारण अपास्त योग्य है। कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक अथवा नायब तहसीलदार को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। तहसीलदार अथवा उससे उच्च पदाधिकारी ही धारा 6ए के तहत कोई कार्यवाही कर सकता है। 1500 लीटर डीजल खरीद करना अथवा लेकर जाना अपराध नहीं है। जिस बाबत प्रार्थीगण ने थाना अधिकारी, भादरा व नायब तहसीलदार, भादरा को बता दिया था। परन्तु प्रार्थीगण को नाजायज हैरान परेशान करने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है जो अपास्त योग्य है। हम अप्रार्थीगण ने किसी भी नियम अथवा कानून का उल्लंघन नहीं किया है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल परिवहन करने की छूट दी गई है तथा वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। थानाधिकारी, भादरा व नायब तहसीलदार, छानीबड़ी ने अपने पद का दुरूपयोग कर हम अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की है। 1500 लीटर डीजल अपने घर अथवा कृषि भूमि पर लेकर जाना कोई अपराध नहीं है उसके बावजूद भी थानाधिकारी व नायब तहसीलदार ने उक्त कार्यवाही की जो काबिल खारिजी के है। प्रार्थीगण के विरूद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर नोटिस हाजा की कार्यवाही व प्रार्थी से जब्तशुदा 1500 लीटर डीजल मय ड्रम एवं वाहन पिकअप रजि. नं. RJ31 GB 0743 को वापस लौटाये जाकर उक्त प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक, नायब तहसीलदार, छानीबड़ी द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थीगण द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के जमीन, खेत खलियान है जिनमें डीजल की परिवहन हेतु आवश्यकता रहती है। अप्रार्थीगण ने उक्त डीजल अपने कृषि कार्य के उपयोग में लेने हेतु खरीद किया था जिसके बिल प्रार्थीगण ने जब्ती के समय सौंप दिये थे जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थीगण ने अधिकृत पैट्रोल पम्प से डीजल क्रय किया है। इसलिए परिवादी/अप्रार्थी उक्त 1500 लीटर डीजल अपने उपयोग, उपभोग हेतु लाया था। केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पेट्रोलियम पदार्थो के खुदरा विक्रय की सीमा उपभोक्ता एक समय में 2500 लीटर तक निर्धारित की गई है। कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक, नायब तहसीलदार, छानीबड़ी के पास वाहन के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वाहन के उचित रख रखाव के अभाव में रंग–रोगन, टायर टयूब, इंजन खराब होने का अंदेशा है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल अप्रार्थीगण को लौटाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी के द्वारा जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण पिकअप नम्बर RJ31 GB 0743 मय 1500 लीटर डीजल मय 11 ड्रम खाली एवं भरे जब्त कर कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक, नायब तहसीलदार, छानीबड़ी द्वारा आवश्यक कार्यवाही बाबत निवेदन किया गया। वर्तमान प्रकरण पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन एवं संग्रहण से सम्बन्धित है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश अधिभावी होगें। ऐसी दशा में जहां कि केन्द्र सरकार के आदेश 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर तक किसी व्यक्ति को एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रख अथवा खरीद सकता है। जहां पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के किसी आदेश का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है, वहां ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में धारा 6ए आवश्यक

वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। वर्तमान प्रकरण में पिकअप रजि. नं. RJ31 GB 0743 व उसमें लदे 11 ड्रम जिसमें 1500 लीटर डीजल पाये गये है जबकि केन्द्र संरकार की अधिसूचना 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर पेट्रोलियम उत्पाद कोई भी व्यक्ति रख सकता है। अप्रार्थी को भी 1500 लीटर डीजल रखने का अधिकार था। अप्रार्थी को 1500 लीटर डीजल रखने के लिये किसी लाईसेंस/परमिट की आवश्यकता नहीं थी। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ अप्रार्थी के द्वारा किसी को विक्रय किया जा रहा हो अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई अपराध किया जा रहा हो, ऐसा रिकॉर्ड से प्रकट नहीं होता है। अतः कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक, नायब तहसीलदार, छानीबड़ी व थानाधिकारी, पुलिस थाना, भादरा द्वारा जब्तशुदा पिकअप रजि. नं. RJ31 GB 0743 व उसमें लदे 11 ड्रम जिसमें 1500 लीटर डीजल जब्ती से बागुजार(मुक्त) किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि जब्त शुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ31 GB 0743 इंजन नं. व चैसिस नं., वाहन के पंजीयन कॉपी(आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये तथा जब्तशुदा तैल 1500 लीटर डीजल मय 11 ड्रम खाली व भरे अप्रार्थीगण को दे दिये जाये। निर्णय की प्रति कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक, नायब तहसीलदार, छानीबड़ी को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़